भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 127

सोमवार, 5 मार्च, 2018/14 फाल्गुन, 1939 (शक)

न्यूनतम मजदूरी

***127. श्री तारिक अनवर:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भविष्य में श्रमिकों के लिए नियमित/सुनिश्चित आय के लिए कोई योजना बनाने हेतु श्रम कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का श्रमिकों/मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**

*****

"न्यूनतम मजदूरी" से संबंधित श्री तारिक अनवर द्वारा 05.03.2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 127 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जी, नहीं।

(ग) और (घ): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों के तहत अनुसूचित नियोजन में नियोजित कामगारों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, समीक्षा करने और संशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केंद्रीय क्षेत्र में निर्धारित दरें केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत प्रतिष्ठानों, रेल प्रशासन, खानों, तेल क्षेत्रों, मुख्य पत्तन अथवा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी निगम पर लागू होती हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में निहित उपबंधों के अनुसार, समुचित सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर समीक्षा करेगीजो पांच वर्ष से अधिक नहीं होंगे। केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों के संबंध में 19.01.2017 से मूल न्यूनतम मजदूरी संशोधित की है।

मूल्य वृद्धि को नियंत्रण में रखने हेतु पांच वर्ष की अवधि काफी अधिक है इसपर विचार करते हुए, वर्ष 1988 में आयोजित श्रम मंत्री सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार परिवर्ती महगांई भत्ते (वीडीए) के विचार को मूर्त रूप दिया गया। तदनुसार, वीडीए अप्रैल और अक्तूबर से प्रभावी करके वर्ष में दो बार आवधिक रूप से संशोधित किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र में 01.10.2017 से लागू न्यूनतम मजदूरी की दरों को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में है।

अनुबंध

दिनांक 05.03.2018 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 127 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

केन्द्रीय क्षेत्र के अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्रवार दरें

01.10.2017की स्थिति के अनुसार

अनुसूचित नियोजन का नाम	कामगार की श्रेणी	परिवर्ती मंहगाई भत्ते सहित मजदूरी की दरें प्रतिदिन(रुपये में)		
		क्षेत्र-क	क्षेत्र ख	क्षेत्र ग
1. कृषि	अकुशल	341.00	311.00	308.00
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	373.00	343.00	315.00
	कुशल/लिपिकीय	405.00	373.00	342.00
	अतिकुशल	449.00	417.00	373.00
2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खान में संलग्न कामगार	1. उत्खनन एवं 50मीटर लीड/1.5मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में:			
	(क) मुलायम मिट्टी	360.00		
	(ख) कंकड़ सहित मुलायम मिट्टी	544.00		
	(ग) कंकड़	720.00		
	2. हटाने एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छाटे गये पत्थरों को जमा करने में:	290.00		
	एक समान आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए			
	(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच	2224.00		
	(ख) 1.5 इंच से 3.0 इंच से ऊपर	1902.00		
	(ग) 3.0 इंच से 5.0 इंच से ऊपर	1115.00		
	(घ) 5.0 इंच से ऊपर	915.00		
3. झाड़ू लगाना एवं सफाई करना	अकुशल	536.00	448.00	359.00
4. पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के	653.00	593.00	506.00
	शस्त्र सहित	710.00	653.00	593.00
5. लादना एवं उतारना	अकुशल	536.00	448.00	359.00
6. निर्माण	अकुशल	536.00	448.00	359.00
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	593.00	506.00	420.00
	कुशल/लिपिकीय	653.00	593.00	506.00
	अति कुशल	710.00	653.00	593.00
7. गैर-कोयला खानें		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे	
	अकुशल	359.00	448.00	
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	448.00	536.00	
	कुशल/लिपिकीय	536.00	625.00	
	अति कुशल	625.00	700.00	

अनुसूचित नियोजन का नाम	नामावली
1. कृषि	कृषि
2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में संलग्न कामगार	पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में संलग्न कामगार
3. झाड़ू लगाना एवं सफाई करना	हाथ से मल साफ करने और सूखे शौच का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम,1993 के अंतर्गत शामिल कार्यों को छोड़कर झाड़ू लगाने एवं सफाई करने के कार्य संबंधी नियोजन
4. पहरा एवं निगरानी	पहरा-निगरानी संबंधी नियोजन
5. लादने एवं उतारने	लादने एवं उतारने संबंधी कार्य (i) रेलवे के गुडस शेडस, पार्सल कार्यालय (ii) अन्य गुडस-शेडस,गोदामों, वेयर हाउसों आदि और (iii)गोदी एवं पत्तनों में नियोजन
6. निर्माण	निर्माण अथवा सड़कों का अनुरक्षण अथवा रनवे अथवा भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा विदेशी दूरसंचार से जुड़े तारों को बिछाने एवं अन्य समरूप भूमिगत तार लगाने के कार्य, बिजली की लाइन, जल आपूर्ति की लाइन तथा सिवरेज पाइप लाइनों के कार्य
7. कोयला खानों के अलावा	जिप्समखान, बेराइट्सखान, बाक्साइटखान, मैग्नीज, चीनीमिट्टी, केनाइट, तांबा, क्ले, मैंग्नेसाइट, व्हाईटक्ले, पत्थर, स्टीएटाइट खान (खानों में उत्पन्न होने वाले साबुन, पत्थर एवं पाउडर सहित),ऑशर, एसबेसटस, फायरक्ले, क्रोमाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टज, सिलिका, ग्रेफाइट, फेल्सपर, लेटेराइट, डोलोमाइट, रेडआक्साइड, वोल्फ्रेम, लौह-अयस्क, ग्रेनाइट, रॉकफास्फेट, हेमाटाइट, मार्बलएवंकैल्साइट, यूरेनियम, अभ्रक, लिग्नाइट, ग्रेव, स्लेटतथामैग्नेटाइटखानकेनियोजन में कार्यरत कर्मचारी।

क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र - "क"

अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबादकाम्पलैक्स	
बंगलुरू	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाजियाबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुड़गांव	
दिल्ली	(यूए)	चैन्नई	(यूए)	नोएडा	
बृह्तमुम्बई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकन्दराबाद	
नवीमुम्बई		पुणे	(यूए)		

क्षेत्र -"ख"

आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्टब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धारवाड़	(नगर निगम)	पुद्दुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राऊरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयुपर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर- कैंट	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सलेम	(यूए)

बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगाम	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलोंग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलिगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	शोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्ची	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	नगर निगम	कोल्हापुर	(यूए)	तिरूवनन्तपुरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशुर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बटूर	(यूए)	कोझीकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मालापुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वशैय-विराड़ सिटी	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाईनगर	(यूए)	मंगलोर	(यूए)	विजयबाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)	गोरखपुर	(यूए)
नांदेड़वघाला	(नगर निगम)	ग्रेटर विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लूर	(यूए)	गुन्टूर	(यूए)
पंचकुला	(यूए)	गुवाहटी	(यूए)	पटना	(यूए)

क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है।

द्रष्टव्य: यूए शहरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त किया गया है।

*****